The Madhya Pradesh Karon ki Puranee Bakaya Rashi ka Samadhan Adhiniyam, 2017

Act 21 of 2017

Keywords:

Old Arrears, Settlement

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2017—श्रावण 31, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. 13753-186-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. सक्षम प्राधिकारी.

४. समाधान राशि.

५. समाधान की शर्तें.

६. आवेदनों का निराकरण.

७. भूलों का परिशोधन.

८. अपील.

९. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण.

१०. पुनर्विलोकन.

११. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति.

१२. नियम बनाने की शक्ति.

१३. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१४. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अधिनियम, २०१७

[दिनांक 18 अगस्त, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 22 अगस्त, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम १९५८ (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन पुरानी बकाया राशि के समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों तथा उससे अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

पभिाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अपीली प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ८ में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी;

(ख) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुरानी बकाया के भुगतान का दायी है और उसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन शर्तों के अनुपालन द्वारा समाधान की प्रसुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है, पुरानी बकाया राशि का समाधान करने की वांछा करता है;

(ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२ की धारा ३ के अधीन नियुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी;

(ङ) ''पुरानी बकाया'' से अभिप्रेत है,—

(एक) किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है;

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन देय ब्याज;

(तीन) सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति,

किसी कानूनी आदेश के संबंध में, जिसके लिये ३१ मार्च, २०१२ को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी कालावधि हेतु निर्धारण और/या शास्ति के किसी आदेश के संबंध में समाधान चाहा गया है, जो धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन फाईल करने की तारीख को भुगतान के लिये शोध्य हो:

परन्तु ''पुरानी बकाया'' में मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५५ या ५७ के अधीन की गई किसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी कानूनी आदेश द्वारा सृजित कोई मांग और सुसंगत अधिनियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कर योजनाओं के स्थगन से संबंधित कोई बकाया सम्मिलित नहीं होगी;

(च) ''समाधान आदेश'' से अभिप्रेत है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कर की पुरानी बकाया राशि के समाधान के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई आदेश;

(छ) ''सुसंगत अधिनियम'' से अभिप्रेत है,—

(एक) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (निरसित);

(दो) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित);

(तीन) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२);

(चार) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४);

और इसमें इनके अधीन बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचनाएं सम्मिलित हैं;

(ज) ''समाधान राशि'' से अभिप्रेत है, आवेदक द्वारा समाधान के लिए उसके आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली पुरानी बकाया राशि;

(झ) ''कानूनी आदेश'' से अभिप्रेत है, देय कर और / या ब्याज और / या शास्ति की मांग करने वाला सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश.

(२) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो कि इस अधिनियम में प्रयोग की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जैसा कि सुसंगत अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित किया गया है.

सक्षम प्राधिकारी. ३. (१) वाणिज्यिक कर आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त होगा.

(२) आयुक्त की सहायता के लिए, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (४) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

(३) उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को किसी एक आवेदक द्वारा फाईल किये गये समस्त आवेदनों में अंतवर्लित पुरानी बकाया की कुल राशि की निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार अधिकारिता होगी—

(एक) ५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिये सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी;

(दो) १५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी;

(तीन) किसी भी राशि के लिए सहायक आयुक्त:

परन्तु आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी एक या समस्त आवेदनों को, एक सक्षम प्राधिकारी से अन्य सक्षम प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा.

समाधान राशि. ४. (१) समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संदाय की जाने वाली समाधान राशि, पुरानी बकाया की कुल राशि का ४० प्रतिशत अथवा पुरानी बकाया में अंतर्वलित कर की राशि का १०० प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी:

परन्तु जहां पृथक् शास्ति आदेश पारित किया गया है जिसके लिए समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है वहां निर्धारण के सुसंगत कानूनी आदेश के अनुसार जो शास्ति के ऐसे पृथक् आदेश से संबद्ध है, बकाया कर की १०० प्रतिशत राशि का भुगतान करना आज्ञापक होगा:

परन्तु यह और कि समाधान राशि की संगणना के लिए, यदि किसी कानूनी आदेश के संबंध में पूर्व में किसी अंश का भुगतान कर दिया गया था तो ऐसी संदत्त राशि कानूनी आदेश में निर्धारित कर, ब्याज तथा शास्ति की राशि के अनुपात में उस कानूनी आदेश के अनुसार कर, ब्याज तथा शास्ति की प्रारंभिक बकाया राशि के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी.

(२) समाधान राशि का भुगतान, यथास्थिति, सुसंगत अधिनियम के अधीन या मध्यप्रदेश वेट नियम, २००६ के नियम ३७ के उपनियम (६) के अधीन विहित चालान के प्ररूप में इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा.

समाधान की शर्तें.

५. (१) समाधान चाहने वाला आवेदक, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) के प्रवृत्त होने की तारीख से साठ दिवस के भीतर, आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में, धारा ४ की उपधारा (१) के अनुसार आवश्यक समाधान राशि के भुगतान के प्रमाण के साथ, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु राज्य सरकार यदि लोकहित में यह आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा उक्त कालावधि को, ३० दिन की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(२) आवेदक द्वारा प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन, प्रत्येक कानूनी आदेश के लिये पृथक् आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे. आवेदनों के साथ आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में समस्त आवेदनों का सारांश भी प्रस्तुत किया जाएगा. सभी आवेदन, आवेदक द्वारा एक ही प्रयास में फाईल किए जाएंगे.

(३) आवेदक, सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया की ऐसी राशि के संबंध में किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष, किसी लंबित अपील, पुनरीक्षण या किसी याचिका के बारे में प्रगटन करेगा और यदि किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई याचिका लंबित है तो उसके द्वारा यह कथन करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन समाधान का लाभ उठाने की दशा में वह कानूनी आदेश के विरुद्ध किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष लंबित ऐसा मामला प्रत्याहरित कर लेगा. जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाधान आदेश पारित कर दिया जाता है तब आवेदक ऐसी लंबित सुसंगत अपील, पुनरीक्षण या कोई याचिका तत्काल प्रत्याहरित करेगा एवं समाधान आदेश प्राप्त करने के ७ दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का युक्तियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जिसमें असफल होने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसका समाधान आदेश रद्द किये जाने का दायी होगा.

(४) आवेदक, समाधान की अतिरिक्त राशि का, यदि धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, भुगतान करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा.

(५) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान का आदेश पारित होने के पश्चात् आवेदक को किसी मंच में उस कानूनी आदेश को जिसके संबंध में समाधान आदेश पारित किया गया है, चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा.

(६) इस अधिनियम या सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी दशा में, आवेदक द्वारा समाधान राशि या अतिरिक्त समाधान राशि के रूप में निक्षिप्त की गई राशि से कोई राशि प्रतिदाय नहीं की जाएगी.

(७) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यदि कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो आवेदक द्वारा निक्षिप्त की गई समाधान की राशि/अतिरिक्त राशि, आवेदक की पुरानी बकाया के विरुद्ध समायोजित की जाएगी.

(८) सुसंगत अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (१) के अधीन फाईल किया जाता है तो फाईल किए गए आवेदन में अंतर्वलित पुरानी बकाया की वसूली, धारा ६ की उपधारा (३) के अनुसार अथवा धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अनुसार आवेदन के अंतिम निराकरण तक रुकी रहेगी:

परन्तु जहां धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तु के अनुसार आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वसूली पर ऐसी रोक, धारा ८ के अधीन अपील फाईल करने की कालवधि समाप्त होने तक जारी रहेगी. यदि धारा ८ के अधीन कोई अपील फाईल की जाती है तो वसूली पर ऐसी रोक, अपील के नामंजूर होने या धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन प्रतिप्रेषित आवेदन के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी.

आवेदनों का निराकरण.

६. (१) सक्षम प्राधिकारी दाखिल किए गए आवेदनों की संवीक्षा करेगा और यदि वे किसी भी रीति में अपूर्ण या अशुद्ध पाए जाते हैं तो आवेदन दाखिल करने के ३० दिन के भीतर आवेदक को उसमें सुधार करने के लिए एक नोटिस, ऐसे नोटिस के संसूचित किए जाने के ७ दिन के भीतर जारी किया जाएगा.

(२) आवेदक, नोटिस की संसूचना के ७ दिन के भीतर त्रुटियों को ठीक करेगा तथा समाधान की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा तथा तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ब्यौरे प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां आवेदक उपरोक्तानुसार उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए तथा सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा समाधान के लिए प्रस्तुत आवेदन नामंजूर कर सकेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा इस अधिनियम की सभी शर्तों की पूर्ति किये जाने के बारे में समाधान होने के पश्चात्, प्रत्येक आवेदन के लिए, उसमें स्वीकृत समाधान की राशि तथा पुरानी बकाया राशि के अधित्याग को विनिर्दिष्ट करते हुए, पृथक् से समाधान आदेश जारी करेगा. यह समाधान आदेश, आवेदक द्वारा आवेदन फाईल किये जाने के ७५ दिन के भीतर पारित किया जाएगा. यह आदेश आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां कि कोई आवेदन धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को पुनर्विचार के लिये प्रतिप्रेषित किया जाता है, वहां यथास्थिति, उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार समाधान आदेश अथवा आवेदन की नामंजूरी का आदेश अपील आदेश के पारित होने के ३० दिनों के भीतर पारित किया जाएगा.

(४) सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आवेदक को, सुसंगत अधिनियमों के अधीन उसके द्वारा देयकर की पुरानी बकाया राशि का संदाय करने के उसके दायित्व से, जिसके लिए समाधान आदेश पारित किया गया है, उन्मोचित किया गया समझा जाएगा और समाधान आदेश के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जमा तथा अधित्याग की गई राशि के आधार पर सुसंगत अधिनियम के अधीन शास्ति/ब्याज अधिरोपित करने की आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

भूलों का सुधार

७. सक्षम प्राधिकारी—

(क) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान आदेश पारित किये जाने की तारीख से ९० दिन के भीतर किसी भी समय, स्वप्रेरणा से; या

(ख) किसी आवेदक द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ९० दिन के भीतर, किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल को या किसी लोप के कारण उसमें उद्भूत किसी त्रुटि को सुधारने के लिए, धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान आदेश को परिशोधित करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु

(एक) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक के किसी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन उस आदेश की, जिसको सुधारना चाहा गया है, संसूचना की तारीख से ३० दिन के भीतर नहीं किया गया है;

(दो) कोई भी ऐसा परिशोधन, यदि वह आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा किये जाने के अपने आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी हो तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

अपील

८. (१) धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपीली प्राधिकारी को होगी, जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (४) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाला वाणिज्यिक कर विभाग का संभागीय उपायुक्त होगा.

(२) आवेदक, धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से ३० दिन के भीतर फाईल कर सकेगा.

(३) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन पारित समाधान आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

(४) अपीली प्राधिकारी, प्रत्येक अपील का निराकरण, ऐसी अपील फाईल किये जाने की तारीख से ३० दिन के भीतर करेगा तथा अपील का निराकरण करने में अपील प्राधिकारी—

(एक) आवेदन की नामंजूरी के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा आवेदन पुनर्विचार के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक को उसका आवेदन नामंजूर करने के पूर्व यथोचित अवसर नहीं दिया गया था अथवा आवेदक के निवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जाने की आवश्यकता है, अथवा

(दो) अपील को नामंजूर कर सकेगा.

(५) समाधान के लिए प्रतिप्रेषित किये गये आवेदन की नामंजूरी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जहां कि ऐसा आवेदन उपधारा (४) के अधीन एक बार प्रतिप्रेषित किया जा चुका था.

समाधान आदेश का प्रतिसंहरण.

९. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने कोई तात्विक जानकारी या विशिष्टियों को छिपाते हुए अथवा कोई गलत या असत्य जानकारी देकर समाधान का लाभ प्राप्त किया है अथवा यदि सुसंगत अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित कार्यवाहियों में तात्विक तथ्यों का कोई छिपाव, किन्हीं विशिष्टियों का छिपाया जाना पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन पारित समाधान के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा. ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा की गई समाधान की राशि को उसके बकाया शोध्यों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा.

पुनर्विलोकन.

१०. आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किसी भी समय पुरानी बकाया के समाधान के आदेश की संसूचना की तारीख से १२ कैलेंडर मास के भीतर, ऐसे आदेश के अभिलेख मंगा सकेगा और जहां तक यह राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, आवेदक पर सूचना की तामील कर सकेगा और जहां आवश्यक हो, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा.

इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति.

११. (१) आयुक्त, समय-समय पर, ऐसे अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वह उचित समझे.

(२) आयुक्त, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्ररूपों तथा परिशिष्टों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत लिखित आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१४. (१) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र.-186-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) का अग्रेंजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2017

THE MADHYA PRADESH KARON KI PURANEE BAKAYA RASHI KA SAMADHAN ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Competent Authorities.
4. Settlement amount.
5. Conditions of settlement.
6. Disposal of applications.
7. Rectification of mistakes.
8. Appeal.
9. Revocation of order of settlement.
10. Review.
11. Power of Commissioner under this Act.
12. Power to make rules.
13. Power to remove difficulties.
14. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2017

THE MADHYA PRADESH KARON KI PURANEE BAKAYA RASHI KA SAMADHAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August, 2017].

An Act to provide for settlement of amount of old arrears under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (repealed), the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (repealed), the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) administered by the Commercial Tax Department and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karon Ki Puranee Bakaya Rashi Ka Samadhan Adhiniyam, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appellate authority" means the appellate authority specified in section 8;

(b) "applicant" means a person, who is liable to pay old arrears under the relevant Acts and also includes a person willing to settle the amount of old arrears of any other person, who desires to avail the benefit of settlement by complying with the conditions under this Act;

(c) "commissioner" means the Commissioner of Commercial Tax appointed under Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

(d) "competent authorities" means the competent authorities specified in sub-section (2) of Section 3;

(e) "old arrears" means—

(i) tax, by whatever name called, under any of the relevant Act;

(ii) interest payable under relevant Act;

(iii) penalty imposed under relevant Act,

in respect of any stautory order for which settlement is desired, pertaining to any order of assessment and/or penalty for any period ending on or before 31st March, 2012 which is due for payment as on the date of filing application under sub-section (1) of Section 5:

Provided that "old arrears" shall not include any demand created by any statutory order in result of any action taken under Section 55 or 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and any arrears related to deferment of tax schemes, issued by the State Government under the relevant Acts from time to time;

(f) "order of settlement" means an order issued under this Act in respect of settlement of amount of old arrears under any of the relevant Act;

(g) "relevant Acts" means—

(i) the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (repealed);

(ii) the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (repealed);

(iii) the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

(iv) the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956);

and includes the rules made or notifications issued thereunder;

(h) "settlement amount" means the amount of old arrears to be paid by the applicant along with his application for the settlement;

(i) "statutory order" means an order passed under the relevant Act, raising demand of tax and/or interest and/or penalty payable;

(2) The words and expressions used in this Act, but not defined shall have the same meaning as assigned to them under the relevant Act.

Competent Authorities.

3. (1) The Commissioner of Commercial Tax shall be the Commissioner for the purposes of this Act.

(2) Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer, as specified in sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), to assist the Commissioner, and having jurisdiction as specified in sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be the competent authorities for the purposes of this Act.

(3) The competent authorities as specified in sub-section (2) shall have jurisdiction as per the following limits of the total amount of old arrears involved in all the applications filed by a single applicant—

(i) Assistant Commercial Tax Officer for the amount not exceeding Rupees 5 Lac,

(ii) Commercial Tax Officer for the amount not exceeding Rupees 15 Lac,

(iii) Assistant Commissioner for any amount:

Provided that the Commissioner, either on his own motion or on an application submitted by the applicant, may transfer any or all applications from one competent authority to the other.

Settlement amount.

4. (1) The settlement amount to be paid along with each application for settlement shall be 40 percent of the total amount of the old arrears or 100 percent of the tax amount involved in the old arrears, whichever is higher:

Provided that where a separate penalty order has been passed for which application for settlement is furnished, then it shall be mandatory to pay the 100 percent amount of the tax outstanding, as per the relevant statutory order of assessment, which is linked with such separate order of penalty:

Provided further that for calculation of settlement amount, if any part payment had earlier been made in relation to a statutory order, such paid amount shall be adjusted proportionately against the initially outstanding amount of tax, interest and penalty as per that statutory order, in proportion to the amount of tax, interest and penalty assessed in the statutory order.

(2) The payment of the settlement amount shall be made electronically in the form of challan prescribed under the relevant Act or, under sub-rule (6) of rule 37 of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, as the case may be.

Conditions of settlement.

5. (1) The applicant desiring settlement, shall apply to the competent authority, within 60 days from the date of coming into force of the Madhya Pradesh Karon Ki Puranee Bakaya Rashi Ka Samadhan Adhyadesh, 2017 (No. 3 of 2017) in the Form, as specified by the Commissioner, along with proof of payment of requisite settlement amount as per sub-section (1) of Section 4:

Provided that the State Government may, if considers it necessary in the public interest, extend the said period for a further period of 30 days by a notification.

(2) Separate applications shall be submitted by the applicant for each statutory order, under each relevant Act. A summary of all applications shall also be filed along with the applications in the Form, as specified by the Commissioner. All the applications shall be filed by an applicant in one attempt only.

(3) The applicant shall disclose about any pending appeal, revision or any petition before any authority or forum with respect to such amount of old arrears under relevant Acts and in case any appeal, revision or any petition is pending before any authority or forum, an undertaking shall be furnished by him stating that in case of availing of the benefit of settlement under the Act, he shall withdraw such matter against the statutory order pending before any authority or forum. When the settlement order is passed by the competent authority, the applicant shall forthwith withdraw such pending relevant appeal, revision or any petition and shall produce appropriate evidence of doing so before the competent authority within 7 days of receiving the settlement order, failing which his order of settlement shall be liable to be revoked by competent authority after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(4) The applicant shall pay an additional amount of settlement, if required to pay under sub-section (2) of Section 6 and shall produce the evidence thereof before the competent authority.

(5) After an order of settlement is passed under sub-section (3) of Section 6, the applicant shall have no right to challenge the statutory order in any forum, in relation to which the settlement order has been passed.

(6) Notwithstanding anything contained in any provision under this Act or in the relevant Acts, in no case any amount shall be refunded from the amount deposited by the applicant as settlement amount or additional settlement amount.

(7) In case an application is rejected as per the provisions of this Act, the amount/additional amount of settlement deposited by the applicant shall be adjusted against the old arrears of the applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in any provisions of the relevant Act, where an application is filed under sub-section (1), the recovery of the old arrears, involved in the filed application, shall remain stayed till the final disposal of the application as per sub-section (3) of Section 6 or as per proviso to sub-section (2) of Section 6:

Provided that where an application is rejected as per proviso of sub-section (2) of Section 6, such stay on recovery shall continue till the period for filing appeal under section 8 is not expired. If an appeal under section 8 is filed, such stay on recovery shall continue till the rejection of the appeal or till the final disposal of the application remanded under sub-section (4) of Section 8.

Disposal of applications.

6. (1) The competent authority shall make the scrutiny of the applications filed and if it is found incomplete or incorrect in any manner, a notice shall be issued to the applicant, within 30 days of filing of the application, to rectify the same within a period of 7 days from communication of such notice.

(2) The applicant shall, within 7 days from the communication of the notice, correct the defects and make the payment of additional amount of settlement, if any, and shall submit the details before the competent authority accordingly:

Provided that where the applicant fails to comply with the provisions as above, the competent authority may, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of being heard, reject the application submitted for settlement by an order in writing.

(3) The competent authority shall, after being satisfied about fulfillment of all the conditions of this Act by the applicant, pass the order of settlement for each application separately, specifying therein the amount of settlement accepted and the waiver of the amount of the old arrears. This order of settlement shall be passed within 75 days of filing the application by the applicant. This order shall be passed in the Form, as specified by the Commissioner:

Provided that where an application is remanded under sub-section (4) of Section 8 to the competent authority for reconsideration, the order of settlement or the order of rejection of the application as per provisions of sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall be passed within 30 days of passing of the appeal order.

(4) Notwithstanding anything contained in the relevant Act, the applicant shall be deemed to have discharged his liability to make payment of the amount of old arrears payable by him under the relevant Acts for which the order of settlement has been passed and no further action of imposing penalty/interest shall be taken under the relevant Act on the basis of the amount deposited and waived under this Act as per settlement order.

Rectification of mistakes.

7. The competent authority may—

(a) on his own motion at any time within 90 days from the date of passing order of settlement under sub-section (3) of section 6; or

(b) on an application submitted by an applicant, within 90 days from the date of receipt of such application, pass an order rectifying the order of settlement under sub-section (3) of section 6, for correcting any clerical or arithmetical mistake or any error arising therein from any omission:

Provided that—

(i) competent authority shall not entertain any application by the applicant unless it is made within 30 days from the date of communication of the order under sub-section (3) of section 6 sought to be rectified;

(ii) no such rectification shall be made if it adversely affects the applicant unless competent authority has given notice, in the form as specified by the Commissioner, to the applicant of his intention to do so and has given the applicant a reasonable opportunity of being heard.

Appeal.

8. (1) An appeal against the order passed under proviso to sub-section (2) of section 6 shall lie to the Appellate Authority who shall be the Divisional Deputy Commissioner of Commercial Tax, having jurisdiction as specified in sub-section (4) of section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

(2) The applicant may file an appeal against the order passed under proviso to sub-Section (2) of Section 6 within 30 days from the date of communication of such order.

(3) No appeal shall lie against the order of settlement passed under sub-section (3) of section 6.

(4) The Appellate Authority shall dispose off every appeal within 30 days from the date of filing such appeal and in disposing of the appeal, the Appellate Authority may—

(i) set aside the order of rejection of the application and remand the application to the competent authority for reconsideration, if it is found that proper opportunity had not been given to the applicant before rejection of his application or the submission of the applicant needs to be reconsidered by the Competent Authority, or

(ii) reject the appeal.

(5) No appeal shall lie against an order of rejection of a remanded application for settlement where such application had been remanded once under sub-section (4).

Revocation of order of settlement.

9. Notwithstanding anything contained in this Act, where it appears to the competent authority, that the applicant has obtained the benefit of settlement, by suppressing any material information or particulars or by furnishing any incorrect or false information or, if any suppression of material facts, concealment of any particulars is found in the proceedings related to search and seizure under the relevant Act, the competent authority may, for reasons to be recorded in writing and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, revoke the order of settlement passed under sub-section (3) of Section 6. In such case, the amount of settlement deposited by the applicant shall be adjusted against his outstanding dues.

Review.

10. The Commissioner may, on his own motion, at any time, within twelve calendar months from the date of communication of order of settlement of old arrears, call for the record of such order and in so far as it is prejudicial to the interest of revenue, may serve on the applicant a notice and pass an order to the best of his judgment, where necessary.

Power of Commissioner under this Act.

11. (1) The Commissioner may, from time to time, issue instructions and directions as he may deem fit for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Commissioner may, by order, specify the Forms and Annexure required for the purpose of this Act.

Power to make rules.

12. (1) The State Government may, subject to the previous publication in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall, as soon as after they are made, be laid on the table of Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

13. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order in writing not inconsistent with the provisions of the Act, remove the difficulty:

Provided that such order shall not be made after the expiry of a period of one year from the commencement of this Act.

Repeal and saving.

14. (1) The Madhya Pradesh Karon Ki Puranee Bakaya Rashi Ka Samadhan Adhyadesh, 2017 (No. 3 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.